भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 4317

उत्तर देने की तारीख: 19/08/2025

विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र संबंधी परियोजनाएं

4317. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री नरेश गणपत म्हस्के:
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:
श्री राजेश वर्मा:
श्रीमती शांभवी:
श्री एंटो एन्टोनी:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) परियोजना के आरंभ होने से लेकर अब तक जारी किए गए विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) कार्डों और लंबित आवेदनों की संख्या का राज्य-वार और वर्ष –वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2020 से चिकित्सा सत्यापन के लिए यूडीआईडी प्रणाली के साथ एकीकृत किए गए जिला अस्पतालों और दिव्यांगता प्रमाणन केन्द्रों की संख्या का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों तक पहुंचने के लिए यूडीआईडी परियोजना के अंतर्गत जन जागरूकता अभियान चलाने और नामांकन अभियान चलाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) डिजिलॉकर और आयुष्मान भारत जैसे अन्य राष्ट्रीय प्लेटफ़ॉर्मों के साथ यूडीआईडी आंकड़ों का एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार मंत्रालयों और विभागों में दिव्यांगता से जुड़ी सेवाएं और लाभ प्राप्त करने के लिए यूडीआईडी को अनिवार्य बनाने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) परियोजना, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की एक प्रमुख पहल है, जिसे मई 2016 में शुरू

किया गया था। आज तक की स्थिति के अनुसार, जारी किए गए यूडीआईडी कार्डों की संख्या की राज्यवार और वर्षवार सूची **अनुबंध-I** में दी गई है। लंबित आवेदनों की राज्यवार सूची **अनुबंध-II** पर दी गई है।

(ख): आज तक की स्थिति के अनुसार, यूडीआईडी कार्ड जारी करने के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा **2,952 अस्पतालों** को प्राधिकृत किया गया है और उन्हें यूडीआईडी पोर्टल पर एकीकृत किया गया है। संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्राधिकार के आधार पर, वर्ष 2020 से यूडीआईडी पोर्टल में एकीकृत अस्पतालों की राज्यवार और वर्षवार सूची **अनुबंध-III** में दी गई है।

(ग): दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांगजनों को लक्षित करते हुए यूडीआईडी परियोजना के तहत ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों सहित जन जागरूकता और नामांकन बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। विभाग ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से नामांकन शिविरों का आयोजन करने, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से कई भाषाओं में सूचना प्रसारित करने और सुचारू आवेदन और प्रमाणन प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए जिला चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करने के उपाय किए हैं। इसके अलावा, यूडीआईडी परियोजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सोशल मीडिया हैंडल का भी प्रयोग किया जाता है।

(घ): दिव्यांगजनों की सेवाओं तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यूडीआईडी डेटाबेस को डिजीलॉकर, यूपीएससी, छात्रवृत्ति पोर्टल आदि जैसे विभिन्न सरकारी सेवा प्रदाता प्लेटफार्मों के साथ एकीकृत/इंटरफेस किया गया है।

(ङ): दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और उसके संगठनों की योजनाओं/सेवाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए सितंबर 2024 से यूडीआईडी कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

“विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र परियोजना” के संबंध में दिनांक 19/08/2025 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4317 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

13.08.2025 तक जारी किए गए यूडीआईडी कार्डों की वर्षवार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या											
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	कुल
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	3	747	1149	565	1175	812	901	819	584	6755
आंध्र प्रदेश	0	0	0	97783	51858	233051	4785	576083	2334	15062	980956
अरुणाचल प्रदेश	0	0	97	684	421	916	885	627	531	240	4401
असम	0	1	0	13946	27255	68463	66231	26332	21452	8545	232225
बिहार	0	1	1515	7602	107580	66649	218180	96720	102537	43475	644259
चंडीगढ़	0	0	1748	2431	525	921	1942	2044	1922	705	12238
छत्तीसगढ़	0	25663	83808	31397	20419	37301	23344	23419	14748	8054	268153
दिल्ली	0	5	55	1194	3241	12272	25781	26165	20155	9034	97902
गोवा	0	0	0	115	911	2553	3975	2132	2046	701	12433

गुजरात	371	24097	85380	75695	34511	56049	59868	57903	55144	20672	469690
हरियाणा	0	3545	25234	6228	6067	17599	68806	51997	31289	12241	223006
हिमाचल प्रदेश	0	0	2605	20158	16201	17976	21810	14238	9755	3767	106510
जम्मू और कश्मीर	0	0	3807	15016	9223	15979	86901	56662	23985	8086	219659
झारखंड	1	2259	7918	4119	700	26941	104862	30445	19180	6209	202634
कर्नाटक	0	0	4	150419	119253	167877	207452	126330	83078	33864	888277
केरल	0	160	3984	110019	26051	18059	91014	76906	53680	17266	397139
लद्दाख	0	0	2	230	135	826	2175	259	211	93	3931
लक्षद्वीप	0	0	0	24	291	543	17	73	187	52	1187
मध्य प्रदेश	6088	213004	85035	59616	211947	117077	77152	77892	86672	29749	964232
महाराष्ट्र	0	12691	61135	183261	168753	218229	211443	212190	169792	58916	1296410
मणिपुर	0	0	0	1044	1109	2710	4488	2609	2370	1091	15421
मेघालय	0	217	2379	4137	10556	3372	5000	3598	2898	1505	33662
मिजोरम	0	38	954	1079	908	525	643	1641	678	191	6657
नगालैंड	0	0	0	471	247	723	755	581	559	352	3688
ओडिशा	116	57582	137028	114781	47935	57738	161252	98305	119591	65752	860080

पुदुचेरी	0	0	0	2959	10121	4775	1362	1601	2077	562	23457
पंजाब	0	0	24072	91366	81941	54066	55446	34396	23497	9574	374358
राजस्थान	0	222298	72356	55803	8660	63560	59991	33784	103218	57411	677081
सिक्किम	0	9	117	358	1427	1280	1026	570	596	192	5575
तमिलनाडु	0	14168	23630	120220	111318	198840	175004	154292	95933	35057	928462
तेलंगाना	0	1	1	477131	0	4	73	296719	37	8057	782023
दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	352	434	140	1291	1005	456	519	232	4429
त्रिपुरा	0	78	576	1103	2208	17024	9818	3713	4587	2278	41385
उत्तर प्रदेश	4	14724	145581	204450	182498	163270	319677	250270	210874	72081	1563429
उत्तराखंड	0	0	0	2742	4802	20335	52608	10785	7226	3020	101518
पश्चिम बंगाल	4	7	14	6	11	8	32	31881	66276	55625	153864
कुल	**6584**	**590551**	**770134**	**1859170**	**1269788**	**1669977**	**2125615**	**2384519**	**1340453**	**590295**	**12607086**

अनुबंध-II

"विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र परियोजना" के संबंध में दिनांक 19/08/2025 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4317 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	13.08.2025 की स्थिति के अनुसार लंबित आवेदनों की संख्या
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	501
आंध्र प्रदेश	10774
अरुणाचल प्रदेश	415
असम	30520
बिहार	118916
चंडीगढ़	1345
छत्तीसगढ़	3853
दिल्ली	46643
गोवा	707
गुजरात	16349
हरियाणा	42146
हिमाचल प्रदेश	15021
जम्मू और कश्मीर	23644
झारखंड	38570
कर्नाटक	82889
केरल	48800
लद्दाख	110
लक्षद्वीप	6
मध्य प्रदेश	29259
महाराष्ट्र	192754
मणिपुर	4572

मेघालय	169
मिज़ोरम	172
नागालैंड	584
ओडिशा	178628
पुदुचेरी	550
पंजाब	11605
राजस्थान	96678
सिक्किम	39
तमिलनाडु	32328
तेलंगाना	67375
दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	623
त्रिपुरा	993
उत्तर प्रदेश	219608
उत्तराखंड	2389
पश्चिम बंगाल	153110
कुल	**1472645**

अनुबंध-III

“विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र परियोजना” के संबंध में दिनांक 19/08/2025 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4317 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2020 से अब तक एकीकृत अस्पतालों की वर्षवार संख्या							
राज्य का नाम	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	कुल
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	3	3	2	16	0	24
आंध्र प्रदेश	0	0	2	0	161	0	163
अरुणाचल प्रदेश	2	0	1	1	4	0	8
असम	5	19	17	5	11	0	57
बिहार	8	59	30	22	33	0	152
चंडीगढ़	1	0	0	0	0	0	1
छत्तीसगढ़	0	6	0	5	8	0	19
दिल्ली	0	6	2	3	1	4	16
गोवा	1	0	0	0	0	0	1

गुजरात	1	4	5	0	8	0	18
हरियाणा	5	8	0	1	1	0	15
हिमाचल प्रदेश	0	0	1	0	1	0	2
जम्मू और कश्मीर	2	0	0	0	5	0	7
झारखंड	0	8	4	0	6	0	18
कर्नाटक	6	4	3	5	11	0	29
केरल	4	8	61	16	10	2	101
लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	1	0	0	0	0	1
मध्य प्रदेश	7	4	2	0	7	0	20
महाराष्ट्र	6	18	20	6	22	24	96
मणिपुर	0	0	1	0	0	0	1
मेघालय	0	1	0	1	4	0	6
मिजोरम	3	0	0	0	0	0	3
नागालैंड	0	3	0	3	3	0	9
ओडिशा	0	0	0	0	0	1	1

पुदुचेरी	2	1	0	1	0	0	4
पंजाब	0	2	4	0	8	0	14
राजस्थान	0	1	0	272	450	51	774
सिक्किम	1	1	0	0	2	0	4
तमिलनाडु	0	0	0	0	388	0	388
तेलंगाना	0	0	0	0	40	2	42
दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	0	0	1	0	1
त्रिपुरा	2	0	0	0	0	0	2
उत्तर प्रदेश	6	12	6	0	7	0	31
उत्तराखंड	0	1	1	1	4	0	7
पश्चिम बंगाल	0	0	0	79	1	5	85
कुल	62	170	163	423	1213	89	2120